सं.आईसीएमआर/भर्ती एवं पदोन्नति-कक्ष/पदोन्नति/ उपमहानिदेशक(प्रशा.)/2025

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029.
दिनांक: 01.07.2025

कार्यालय आदेश

विषय: परिषद के उप महानिदेशक (प्रशासन) के पद पर पदोन्नति- के संबंध में।

****

डीपीसी (समूह 'ए') की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार, निम्नलिखित सहायक महानिदेशक (प्रशासन) को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर - 13 (1,23,100 -2,15,900रूपये) में नियमित आधार पर उप महानिदेशक (प्रशासन) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान में कार्यरत संस्थानों/केन्द्रों का नाम	पदोन्नति पर पोस्टिंग का स्थान	टिप्पणी
1.	श्री जगदीश राजेश	परिषद मुख्यालय	परिषद मुख्यालय	उपमहानिदेशक(प्रशा.)के पद पर पदोन्नति के लिए 01.07.2025 या पदभार का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जो भी बाद में हो, से अनुशंसित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर नियमित आधार पर पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी स्वीकृति देने तथा इस आदेश के जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर इस पद का कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उनसे स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी पदोन्नति स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है तथा यह पदोन्नति आदेश आगे कोई अन्य नोटिस की प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही रद्द हो जाएगा। स्वीकृति प्रस्तुत करने के लिए या अन्यथा पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए, बाध्यकारी आधारों को छोड़कर समय बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. परिषद के नियमों के अनुसार वे भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगें।

4. उनका वेतन 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अनुसार नियत किया जाएगा।

5. उन्हें पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर यह विकल्प देना होगा कि वे नए पद का नियत वेतन लेंगे या पदोन्नत पद, उप महानिदेशक (प्रशासन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से या 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के पिछले वेतन लेवल में उनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन लेंगे।

6. यदि वे अपनी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते है, तो उन्हें आगे तब तक वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे पुनः पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु सहमत नहीं हो जाते।

7. निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नत पद की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, उन्हें एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा और डीओपीटी के दिनांक 1 अक्टूबर 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22034/3/81-स्था.(डी) के अनुसार, वंचित अवधि के दौरान पदोन्नति का कोई नया प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा।

8. वे परिषद के अधीन सेवा की सामान्य शर्तों व नियमों द्वारा शासित होंगे तथा परिषद के अधीन अपनी पिछली सेवा के सभी लाभ प्राप्त करते रहेंगे।

(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

श्री जगदीश राजेश
सहायक महानिदेशक(प्रशा)/परिषद मुख्यालय।

प्रतिलिपिः-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, के निजी सचिव।
2. **श्री जगदीश राजेश** - अनुरोध है कि कार्यभार ग्रहण करने/पदभार ग्रहण करने/पदोन्नति से इंकार करने से संबंधी सूचना, यदि कोई हो, तो कृपया ईमेल **admin1.hq@icmr.gov.in,** ao.rpcell@icmr.gov.in के माध्यम से स्थापना अनुभाग/आर एंड पी सेल, परिषद मुख्यालय को तत्काल भेज दी जाए।
3. उपमहानिदेशक(प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक(प्रशा.) / सहायक महानिदेशक (वित्त), परिषद मुख्यालय।
4. सहायक निदेशक(रा.भा.), परिषद मुख्यालय - इस कार्यालय आदेश का हिंदी अनुवाद ईमेल आईडी **ao.rpcell@icmr.gov.in** पर उपलब्ध करवाएं।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी /बिल अनुभाग, परिषद मुख्यालय।
6. संपर्क अधिकारी (आरक्षण कक्ष), परिषद मुख्यालय ।
7. सतर्कता/लेखा - VI अनुभाग/कानूनी कक्ष, परिषद मुख्यालय।
8. नोडल अधिकारी, आरटीआई डेस्क, परिषद मुख्यालय।
9. नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेंस सेल, परिषद मुख्यालय।
10. बजट/गार्ड फाइल/वेतन वृद्धि/वरिष्ठता फाइल